न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
2/दावा/2017	24.01.2017	09.03.2021

1. महावीर पुत्र रामकिशन जाति तेली निवासी ग्राम डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. कैलाश बाई पुत्री रामकिशन जाति तेली निवासी ग्राम डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
3. सुशीला पुत्री रामकिशन जाति तेली निवासी ग्राम डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

......वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्तावादी:– श्री कुलदीप सिंह गौड़

अधिवक्ता प्रतिवादी:–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 आर.टी.एक्ट 136 एल.आर.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है कि:–

1. यह कि जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की खाता संख्या नई 265 पुरानी 252 की कृषि भूमि खसरा संख्या 04 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा पटवार हल्का बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी मे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे गैर खातेदारी में दर्ज है।
2. यह कि जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की खाता संख्या नई 01 पुरानी 01 की आराजी खसरा संख्या 05 रकबा 17 बिस्वा ख0सं0 3 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा तहसील तालेडा पटवार हल्का बाजड जिला बून्दी में स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड मे राज्य सरकार के खाते दर्ज है।
3. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार रामकिशन पुत्र श्री भवाना जाति तेली थे जो वादीगण के पिता थे। उक्त वर्णित कृषि भूमि रामकिशन पुत्र श्री भवाना जाति तेली को दिनाकं 27/07/1961 को सेटलमेन्ट से पूर्व आवंटित हुई थी। आवंटन के समय वाद वर्णित कृषि भूमि के खसरा संख्या 3/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा थे और मुताबिक सनद दिनांक 14.01.1976 को रामकिशन पुत्र श्री भवाना को आवंटित भूमि खसरा सं0 3/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा का पट्टा जारी हुआ था।
4. यह कि आंवटी रामकिशन पुत्र श्री भवाना को वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 3/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा आवंटन होने के पश्चात भू–बन्दोबस्त 2028 से 2047 के समय खसरा संख्या 3/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा के नये खसरा संख्या 4 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा व खसरा संख्या 5 रकबा 17 ख0सं0 3 रकबा 10 बिस्वा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये गये है।
5. यह कि वादीगव के पिता रामकिशन पुत्र श्री भवाना को आवंटी कृषि भूमि खसरा संख्या 3/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा को सनद जारी करके पट्टा जारी किया गया था। जिनके अनुसार नामान्तरण संख्या 20 दिनांक 06–04–1976 को उक्त खसरा संख्या 3/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर के खातेदारी हक का दर्ज किया गया था। किन्तु वक्त भू बन्दोबस्त 2028 से 2047 मे खसरा संख्या 3/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा के नये खसरा संख्या 4 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 5 रकबा 17 बिस्वा दर्ज किये गये थे, के अनुसार खसरा संख्या 4 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा को वादीगण के पिता रामकिशन पुत्र श्री भवाना के गैर खातेदारी मे दर्ज कर दिया गया था व शेष खसरा संख्या 5 रकबा 17 बिस्वा, ख0सं0 3 रकबा 10 बिस्वा को राज्य सरकार के खाते दर्ज कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित आराजी सन 1961 मे ही वादीगव के पिता रामकिशन को आवंटिक हो चुकी है। आवंटन 1961 मे होने के पश्चात मे रामकिशन उक्त वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करता रहा था। तथा वर्तमान मे वादीगण खसरा संख्या 4 व 5 की कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इस कारण वादीगण के पिता रामकिशन ही कब्जे मुखालफाना के आधार पर खातेदार हो चुके थे।

7. यह कि वादीगण को अधिकार प्राप्त है। कि वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 4 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 5 रकबा 17 बिस्वा, ख0सं0 3 रकबा 10 बिस्वा पर कब्जे मुखालफाना व आवंटन शर्तो के अनुसार स्वयं को खातेदार घोषित करवाये। साथ ही खसरा संख्या 5 जो राज्य सरकार के खाते दर्ज है। मे इनद्राज दुरूस्ती करवाकर खसरा संख्या 5 ग्राम डगलावदा मे राज्य सरकार का नाम विलोपित करवाकर वादीगण का नाम दर्ज करावे।

8. यह कि वादीगण ने प्रतिवादी के कार्यालय मे जाकर कई बार निवेदन किया कि वह वाद पत्र मे वर्णित आराजी को वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करदे तथा इन्द्राज दुरस्ती करके नाम दर्ज कर दिया जावे किन्तु प्रतिवादी द्वारा लगातार टालम टोल किया जाता रहा, वाद मे सक्षम न्यायालय मे वाद दायर करने को कहा गया। यही वाद का कारण है।

9. यह कि उक्त वाद मे राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है। जिसे पक्षाकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 जा0 दी0 का 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। किन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से राज्य सरकार को नोटिस दिये जाने के अभाव मे वाद पत्र के साथ धारा 80 (2) जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र संलग्न है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है। कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिग्री पारित की जावेः–

1. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजी खसरा संख्या 4 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा तहसील तालेडा का वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जावे।
2. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित आराजी खसरा 3 रकबा 10 बिस्वा संख्या 5 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा तहसील मे इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर खाते मे राज्य सरकार के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे ।
3. यह कि उक्त बाबत प्रतिवादी सं0 को तहसीर पालना रिपोर्ट हेतु जारी की जाकर निर्देशित किया जावे कि पालना कर पालना रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे।
4. अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादीगण को दिलाई जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मंन तलब किया गया। प्रतिवादी की और से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड चरण सं0 1 लगा0 4 तक स्वीकार है। च0सं0 5 आंशिक स्वीकार है। च0सं0 6 सत्यापित करने का दायित्व वादी का है। च0सं0 7 सत्यापित करने का दायित्व वादी का है एवं अन्य विषय कानूनी है। च0सं0 8 वादी से सम्बन्धित है। च0सं0 9 कानूनी है। च0सं0 10,11 एवं 12 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। अतः सम्बन्धित वाद में सरकार की और से उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत है।

साक्ष्य में वादी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 265 ग्राम डगलावदा संवत् 2070–73, नकल जमाबन्दी खाता सं0 1 ग्राम डगलावदा संवत् 2070–73, बन्दोस्त विभाग फर्द मिलान रकबा ग्राम डगलावदा, नकल आंवटन पत्रावली आवंटी रामकिशन आ0 भवाना कौम तेली, नकल नामान्तकरण पंजिका पृविष्टी क्रम सं0 20 दिनांक 06.04.1976 वाके ग्राम डगलावदा, नकल आवंटन पट्टा सं0 730 दिनांक 14.01.1976, आंशिक नकल नक्शा गाम डगलावदा सन् 1935, महावीर आ0 रामकिशन जाति तेली का शपथ–पत्र की प्रतियॉ पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के पिता रामकिशन आ0 भवाना जाति तैली निवासी बाजड़ के आवंटन मिसल नं0 515/1961 कृषि भूमि ख0सं0 3/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा आवंटन दिनांक 27.07.1961 को सेटलमेन्ट से पूर्व आंवटन हुई थीं। आवंटन के समय वाद वर्णित कृषि भूमि के ख0सं0 3/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा थे। श्रीमान अतिरिक्त कलेक्टर उपनिवेशन बून्दी द्वारा जारी सनद सं0 730 दिनांक 14.01.1976 को

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

रामकिशन आ0 भवाना जाति तैली निवासी बाजड़ को उक्त कृषि भूमि आवंटित होकर पट्टा जारी किया गया है। उक्त जारी शुद्धा सनद/पट्टा का नामान्तरण सं0 20 दिनांक 06.04.1976 से खसरा सं0 3/1 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, जिसके नवीन ख0 नं0 4 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, ख0सं0 3 रकबा 10 बिस्वा, ख0सं 5 रकबा 17 बिस्वा, ख0सं0 7/1 रकबा 1 बिस्वा कुल किता–4 कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा गैर खातेदार से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है। किन्तु भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा वक्त भू–बन्दोबस्त संवत् 2028–47 मे ख0सं0 3 रकबा 10 बिस्वा एवं ख0सं0 5 रकबा 17 बिस्वा, वाके ग्राम डगलावदा को राजकीय सिवायचक काबिल काश्त दर्ज रिकार्ड कर दी गई है जो भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी जमाबन्दी संवत् 2028–47 से त्रुटि होना बखूबी सिद्ध होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण को कृषि भूमि ख0सं0 4 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा एवं वर्तमान में दर्ज राजकीय सिवायचक ख0सं0 3 रकबा 10 बिस्वा, ख0सं 5 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0सं0 4 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा ख0सं0 3 रकबा 10 बिस्वा, ख0सं 5 रकबा 17 बिस्वा, कुल किता–3 कुल रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा का वादीगण को खातेदार दर्ज रिकार्ड किया जावे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी (तालेडा) जिला बूंदी

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बूंदी (राज0)

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास कमल कुमार मीना, आर0ए0एस0

1. महावीर पुत्र रामकिशन जाति तेली निवासी ग्राम डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. कैलाश बाई पुत्री रामकिशन जाति तेली निवासी ग्राम डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
3. सुशीला पुत्री रामकिशन जाति तेली निवासी ग्राम डगलावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

......वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 आर.टी.एक्ट 136 एल.आर.एक्ट

2/दावा/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री कुलदीप सिंह गौड़ एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण को कृषि भूमि ख0सं0 4 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा एवं वर्तमान में दर्ज राजकीय सिवायचक ख0सं0 3 रकबा 10 बिस्वा, ख0सं 5 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0सं0 4 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा ख0सं0 3 रकबा 10 बिस्वा, ख0सं 5 रकबा 17 बिस्वा,. कुल किता–3 कुल रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा का वादीगण को खातेदार दर्ज रिकार्ड किया जावे।

नीज............................ मुबलिक............................... बाबत...................
खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह....................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 09 माह 03 वर्ष 2021 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज.)

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला ...

Scanned with CamScanner